कार्यालय जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर (म.प्र.)
(सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

क्र./डी.डी.आर.सी./2023/118 जबलपुर दिनांक 29-08-2023

विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 2475/13062/16/23/26–2 दिनॉक 23 अगस्त 2023 के परिपालन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, बाई का बगीचा, बर्फानी पेट्रोल पंप के सामने, घमापुर जिला जबलपुर म.प्र. के अंतर्गत निम्न पदों की संविदा आधार पर पूर्ति किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं पद स्तर वेतनमान, संविदा पारिश्रमिक, शैक्षणिक योग्यता, एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिये गये निर्धारित प्रारूप में टाईप किया हुआ अपना आवेदन संपूर्ण जानकारी एवं मांगे गये प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा **कार्यालय जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (बाई का बगीचा, बर्फानी पट्रोल पंप के सामने, घमापुर, जबलपुर म. प्र.)** में अंतिम तिथि के पूर्व जमा कर सकते हैं।

क्र.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्ग	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव	मानदेय
1.	सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट/आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	01	अनारक्षित	फिजियोथेरेपिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीपीटी ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीओटी औचित्य .पीटी और ओटी दोनो पूरी तरह से अलग–अलग विषय हैं और दोनों की दिव्यांगता पुनर्वास में बहुत महत्वपूर्ण और अलग–अलग भूमिकाएं हैं।	20500
2.	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट	01	अनारक्षित	आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक	20500
3.	सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियोलॉजिस्ट	01	अनारक्षित	ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक या बी.एससी स्पीच एंड हियरिंग	20500
4.	हियरिंग अस्सिटेंट/जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट/ईयर मोल्ड टेक्नीशियन	01	अनारक्षित	श्रवण यंत्रों की जानकारी/मरम्मत/कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस) ईयर.मोल्ड तकनीशियन पात्रता हियरिंग एयड रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी मे डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	16000
5.	मल्टीपरपज रिहेब्लीटेशन वर्कर	01	अनारक्षित	बहुउददेशीय पुर्नवास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास (पीजीडीसीबीआर) में पोस्ट ग्रेजुएट/ समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर) / समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)/ एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा	14500
6.	वोकेशनल काउंसलर कम्प्यूटर अस्सिटेंट	01	अनारक्षित	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर) / बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी) / पुनर्वास विज्ञान में स्नातक	14500
7.	ट्रांस–डिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर	01	अनारक्षित	श्रवण बाधिता में डीईडीएसई /बीईडीएसई	16000

–ःनिर्धारित शर्तेः–

1. कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिवस के अंदर। आवेदन पत्र सादे सीलबंद लिफाफे पर, सचिव, जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जबलपुर (म. प्र.) के नाम से प्रेषित किये जावे। कवर पेज पर .... (संविदा) नियुक्ति हेतु आवेदन लिखा जावे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
2. आवेदक का आरसीआई में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है नियुक्ति दिनांक से कम से कम एक वर्ष की वैधता हो।
3. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, एवं प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करेगा।
4. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला दिव्यांग पुर्नवास केंद्र, जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।
5. समस्त चयन प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर को अधिकार होगा, कि वह किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
6. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष के लिये रहेगी।
7. यह पद पूर्णतः संविदा नियुक्ति का है। भविष्य में संविदा नियुक्ति के आधार पर, शासन के किसी भी विभाग/किसी उपक्रम में नियमितिकरण संबंधी दावा मान्य नही किया जावेगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि संविदा अवधि से पूर्व कलेक्टर द्वारा, उसकी सेवा समाप्त की जाती है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा, 01 माह का नोटिस अथवा संविदा पारिश्रमिक देय होगा।
9. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या विभाग को नही देगा, तथा कार्यालय की गोपनीयता भंग नही करेगा।
10. चयनित को संविदा में नियुक्ति का आदेश प्राप्त होने पर, तत्काल नियुक्ति अधिकारी के साथ 50 रु. के नान ज्यूडिशियल स्टांप पर, करारनामा निष्पादित करना होगा। साथ ही 03 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि का बान्ड भी भरवाया जावेगा। यदि वह नियम संविदा अवधि के पूर्व से त्याग पत्र देकर अन्यत्र स्थान पर पदभार ग्रहण करता है, तो उसे उक्त राशि शासन के पास जमा करनी होगी। उक्त समस्त व्यय उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा।
11. संविदा में नियुक्ति पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा पर माना जावेगा।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण रहे बिना सूचना के कर्तव्य से 01 माह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी का अधिकार कलेक्टर को होगा। कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है।
13. आवेदक आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर पर्याप्त डाक टिकट लगा हो संलग्न करें।

आवेदन पत्र निम्न प्रारुप पर नवीन पासपोर्ट फोटो के साथ देवें।

1. पद नाम 2. आवेदक का नाम 3. आवेदक के पिता/पति का नाम 4. आवेदक का वर्तमान पता 5. स्थयी पता 6. दूरभाष/मो. नंबर 7. जन्मतिथि (अंको में)................शब्दों में ....

8. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक/प्राप्तांक	श्रेणी

9. कार्य अनुभव/प्रमाण – पत्र सहित प्रमाण पत्र विस्तृत विवरण कब से कब तक कंपनी/विभाग/संस्था का नाम धारित पद

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा, घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा, दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर, मेरा आवेदन निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार कलेक्टर/अध्यक्ष जिला दिव्यांग पुर्नवास केंद्र, जबलपुर को होगा।

दिनांक........................ स्थान.......................... आवेदक के हस्ताक्षर ....

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला दिव्यांग पुर्नवास केंद्र
जिला–जबलपुर (म.प्र.)